रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082021-229089
CG-DL-E-17082021-229089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 2021/श्रावण 26, 1943
No. 340] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 2021/SHRAVANA 26, 1943

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त , 2021

सं. ए-10/178/2012-पीपीसी/पीबीआरबी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) के अनुच्छेद 11 के उप- अनुच्छेद (4) के साथ पठित अनुच्छेद 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निगम इसके तहत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकारी विनियम 2012 में संशोधन के लिए नामत: निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. (1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकारी (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकारी विनियम, 2012 में, विनियम 3 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"3, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकारी - सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी, सारणी के कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी, सारणी के कॉलम (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संशोधन प्राधिकारी और कॉलम (6) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट समीक्षा प्राधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए अधिकारी होंगे

और उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों के अधीन विनिर्दिष्ट पदों के वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल के संबंध में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदच्युत अथवा सेवा से बर्खास्तगी की बड़ी शास्ती अधिरोपित करने की शक्तियों को छोड़कर, छोटी और बड़ी शास्तियों के अधिरोपण के लिए अपनी संबंधित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।"

सारणी

क्र.सं.	**पदों का वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल**	**अनुशासनात्मक प्राधिकारी**	**अपीलीय प्राधिकारी**	**संशोधन प्राधिकारी**	**समीक्षा प्राधिकारी**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	समूह 'क' वेतन मैट्रिक्स मे लेवल 10 और ऊपर	प्रसार भारती बोर्ड का सदस्य कार्यकारी	समिति जिसमें प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) शामिल होंगे।	प्रसार भारती बोर्ड	केंद्रीय सरकार
2.	समूह 'ख' वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 से 9 तक	आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती सचिवालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन) या प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य (कार्मिक) जैसा भी मामला हो। टिप्पणी-1: यदि महानिदेशक (आकाशवाणी) का पद रिक्त है, तो महानिदेशक (दूरदर्शन) अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे और इसके विपरीत महानिदेशक (दूरदर्शन) का पद रिक्त है तो महानिदेशक (आकाशवाणी) अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे। टिप्पणी-2 यदि महानिदेशक (आकाशवाणी) और महानिदेशक (दूरदर्शन) के दोनों पद रिक्त हैं, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन में क्रमश: प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक (समाचार), समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी और प्रधान	प्रसार भारती बोर्ड के कार्यकारी सदस्य.	एक समिति जिसमें प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) शामिल हैं।	केंद्रीय सरकार

		महानिदेशक या महानिदेशक दूरदर्शन समाचार अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे।			
3.	समूह 'ग' वेतन मेट्रिक्स लेवल 1 से 5 तक	(i) स्टेशनों या केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों के मामले में सीनियर टाइम स्केल या उससे ऊपर के स्तर का स्टेशन या केंद्र अध्यक्ष। (ii) प्रसार भारती के अन्य सभी प्रतिष्ठानों के मामले में सीनियर टाइम स्केल या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी। टिप्पणी: यदि एक अधिकारी जिसके पास स्टेशन अध्यक्ष या केंद्र अध्यक्ष का प्रभार है और वह सीनियर टाइम स्केल के नीचे के स्तर का है, तो उसी क्षेत्र स्थित किसी अन्य केंद्र का सीनियर टाइम स्केल का केंद्र अध्यक्ष या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा।	(i) कर्मचारी जिस स्टेशन या केंद्र में तैनात होता है, वहां का संबंधित क्षेत्रीय अपर महानिदेशक। (ii) प्रसार भारती के अन्य सभी प्रतिष्ठानों के मामले में अपर महानिदेशक स्तर के संबंधित अधिकारी। टिप्पणी: यदि संबंधित क्षेत्रीय अपर महानिदेशक के पद पर पदस्थ अधिकारी के पास प्रभार है या वह उस पद पर नहीं है तो उस क्षेत्र का पर्यवेक्षण कर रहे आकाशवाणी या दूरदर्शन के अपर महानिदेशक अपीलीय प्राधिकारी होंगे।	(i) आकाशवाणी या दूरदर्शन में तैनात कर्मचारियों के संबंध में महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन) जैसा भी मामला हो (ii) प्रसार भारती सचिवालय में तैनात कर्मचारियों के संबंध में सदस्य (कार्मिक) या सदस्य (वित्त)। टिप्पणी: यदि महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन) का पद रिक्त है, तो प्रसार भारती में उपलब्ध कोई भी महानिदेशक संशोधन प्राधिकारी होगा।	केंद्रीय सरकार

मुक्ता गोयल, अपर महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./204/2021-22]

PRASAR BHARATI

(Broadcasting Corporation of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2021

No. A-10/178/2012-PPC/PBRB.—In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub-section (4) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation hereby makes the following regulations to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), Authorities for Disciplinary Proceedings Regulations, 2012 namely:-

1. (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), Authorities for Disciplinary Proceedings (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), Authorities for Disciplinary Proceedings Regulations, 2012, for regulation 3, following regulation shall be substituted, namely:-

"3. Authorities for Disciplinary Proceedings.- The Disciplinary Authority specified in column (3) of the table, the Appellate Authority specified in the corresponding entry in column (4) of the table, the Revising Authority specified in the corresponding entry in column (5) of the table and the Reviewing Authority specified in the corresponding entry in column (6) thereof shall be the authorities for disciplinary proceedings and shall exercise their respective powers to impose minor and major penalties, except the power to impose major penalty of compulsory retirement, removal or dismissal from service in respect of the classification of posts and level in pay matrix specified against corresponding entries under column (2) of the said table."

TABLE

Sl. No.	**Classification of posts and level in pay matrix**	**Disciplinary authority**	**Appellate authority**	**Revising authority**	**Reviewing authority**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Group 'A' Level 10 in the pay matrix and above.	Executive Member of the Prasar Bharati Board.	A committee consisting of the Chairman, the Member (Finance) and Member (Personnel) of the Prasar Bharati Board.	Prasar Bharati Board	Central Government
2.	Group 'B' Level 6 to level 9 in the pay matrix	Director General (Akashvani) or Director General (Doordarshan) or Member (Personnel) of the Prasar Bharati Board in respect of officers and employees posted in Akashvani, Doordarshan and Prasar Bharati Secretariat, as the case may be. Note- 1: In case the post of Director General (Akashvani) is vacant, Director General (Doordarshan) shall be Disciplinary Authority and *vice-versa*. Note-2: In case both the posts of Director General (Akashvani) and Director General (Doordarshan) are vacant, Principal Director General or Director General (News), News Service Division, Akashvani and Principal Director General or Director	Executive Member of the Prasar Bharati Board.	A committee consisting of the Chairman, Member (Finance) and Member (Personnel) of the Prasar Bharati Board.	Central Government

		General, Doordarshan News respectively shall be Disciplinary Authority in Akashvani and Doordarshan as the case may be.			
3.	Group 'C' Level 1 to Level 5 in the pay matrix	(i) Station or Kendra Head of the level of Senior Time Scale or above in case of employees posted at Stations or Kendras. (ii) Officer of the level of Senior Time Scale or above in the case of all other establishments of Prasar Bharati. Note: In case the Station head or Kendra head is an officer holding current duty charge or is a level below the Senior Time Scale, Station head or Kendra head of the Senior Time Scale or above level at another Station or Kendra in the same zone shall be Disciplinary Authority.	(i) Zonal Additional Director General concerned in case where the employee is posted at a Station or Kendra. (ii) Concerned officer of the level of Additional Director General in case of all other establishments of Prasar Bharati. Note: In case incumbent of the post of Regional Additional Director General concerned is on current duty charge or is not in position, the Additional Director General Akashvani or Doordarshan, as the case may be, who is supervising the work of that region shall be Appellate Authority.	(i) Director General (Akashvani) or Director General (Doordarshan) in respect of employees posted in Akashvani or Doordarshan, as the case may be. (ii) Member (Personnel) or Member (Finance) in respect of employees posted in the Prasar Bharati Secretariat. Note: In case the post of Director General (Akashvani) or Director General (Doordarshan) is vacant, any Director General available in the Prasar Bharati shall be Revising Authority.	Central Government.

MUKTA GOEL, Add'l. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./204/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.08.17 22:36:10 +05'30'